कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 21/12/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 20.12.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. क्रेक डाउन

थाना मोहम्मदाबाद व थाना भावरकोल संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ₹25000 इनामिया व वांछित बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अदद देसी तमंचा 315 बोर व 1 अदद पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 20.12.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा की जा रही थी | इसी क्रम में थानाध्यक्ष भावरकोल मय टीम द्वारा माढ़ूपुर तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी कि पखनपुरा की तरफ से एक पैसन प्रो मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति हेलमेट पहने हुए चला आ रहा था जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल पुलिस टीम पर चढ़ाने का प्रयास करके तेजी से मोहम्मदाबाद की तरफ भागने लगा | थानाध्यक्ष भावरकोल द्वारा जरिये आर टी सेट सूचना देते हुए उसका पीछा करते हुए व जरिए दूरभाष प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद को सूचना दी गई जो पहले से क्षेत्र में मामूर थे तथा उन्हें घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ने के लिए किया कहा गया| उक्त सूचना दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद द्वारा जयनगर तिराहे के पास उक्त संदिग्ध की घेराबंदी की गई |खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश द्वारा झाड़ियो की तरफ भाग कर आड लेकर पुलिस टीम को निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा जिस पर पुलिस टीम द्वारा अपना आत्मरक्षा संतुलित जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया तो बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु CHC मोहम्मदाबाद भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूँछताछ- पूँछताछ के दौरान उक्त बदमाश ने अपना नाम महेश चौधरी पुत्र भगवान चौधरी उम्र 26 निवासी वीरपुर थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर बताया|भागने का कारण जानने की कोशिश की गई तो उक्त बदमाश द्वारा बताया गया कि साहब मैं थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर से मुकदमे में वांछित हूँ पकड़े जाने के डर से मै भागने लगा गलती हो गई माफ कर दीजिए |

गिरफ्तार /घायल अभियुक्त का नाम पता -

1. महेश चौधरी पुत्र भगवान चौधरी उम्र 26 निवासी वीरपुर थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर

बरामदगी -

1. 01 अदद देसी तमंचा 315 बोर
2. 2 अदद खोखा कारतूस
3. 1 अदद पैशन प्रो मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु०अ०स० 87 /23 धारा 323 504 506 IPC थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर
2.मु०अ०स०29/ 24धारा323 325 427 452 504 506IPC थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर
3.मु०अ०स० 61 / 24 धारा 147 148 149 307 332 353 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भावरकोल जनपद गाज़ीपुर
4.मु०अ०स०62/24 धारा 147 148 149 307 427 504 506IPC थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर
5.मु०अ०स०355 /24 धारा 109 (3) व 3/25 आर्म्स एक्ट IPC थाना मुहमदाबाद जनपद गाजीपुर।

02.थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 175/2024 धारा 191(2),191(3),115(2),352,105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.12.2024 को थानाध्यक्ष दुल्लहपुर मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त लक्ष्मन चौहान पुत्र जगधारी चौहान निवासी ग्राम खुटहाँ थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुल्लहपुर में पूर्व में मु0अ0सं0 175/2024 धारा 191(2),191(3),115(2),352,105 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. लक्ष्मन चौहान पुत्र जगधारी चौहान निवासी ग्राम खुटहाँ थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष।

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-175/24 धारा 191(2),191(3),115(2),352,105 बीएनएस थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

03. थाना गहमर पुलिस टीम द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा देशी .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 19.12.2024 को उ0नि0 पुष्पेश चन्द्र दुबे चौकी प्रभारी सेवराई मय टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बहद ग्राम देवकली थाना गहमर जनपद गाजीपुर के पास अभियुक्त बालक स्वामी पुत्र श्री राम चन्द्र राम निवासी ग्राम बसुका थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 27 वर्ष के पास एक अदद अवैध तमंचा देशी .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः –

1. बालक स्वामी उर्फ गूल्लू कुमार पुत्र श्री राम चन्द्र राम निवासी ग्राम बसुका थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 230/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गहमर जिला गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0 59/2024 धारा 363,366 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर।

04. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप ढ़ाई वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार कारित करने के मुकदमें अभियुक्त अशोक सिंह उर्फ बिल्ला पुत्र स्व० जगदीश सिंह निवासी गोसन्देपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीस पाक्सो कोर्ट जनपद गाजीपुर द्वारा करीब 02 माह 19 दिन की अवधि मे विचारण पूर्ण करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास व 40,000/-रूपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया। '

प्रश्नगत मुकदमे मे दिनांक 27.7.2024 को समय 15.00 बजे अभियुक्त अशोक सिंह उर्फ बिल्ला द्वारा वादी मुकदमा श्री राम यादव की ढाई वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध कारित किया गया। वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द मु0अ0सं0-94/24 धारा 65 (2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया विवेचनोपरान्त संकलित साक्ष्यों के आधार पर निरीक्षक थाना करण्डा श्री बिन्द कुमार द्वारा उक्त धाराओं मे आरोप पत्र अल्प अवधि में माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2024 को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया तथा दिनांक 07.10.2024 को अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आरोप विचारित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर डा० ईरज राजा के कुशल निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद, क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री सुधाकर पाण्डेय के कुशल पर्वेक्षण एवं विचारण के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद गाजीपुर श्री आन्नद कुमार पाण्डेय तथा विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक श्री रवि कान्त पाण्डेय के द्वारा मुकदमे के शीघ्र निस्तारण हेतु अत्यधिक प्रयास के फलस्वरूप मात्र दो पहीने उन्नीस दिन मे अभियुक्त उपरोक्त को इस जघन्य अपराध के लिये सश्रम आजीवन कारावास व 40,000/-रूपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया। विचारण के दौरान कुल 08 साक्षियों को परिक्षित कराया गया तथा अभियुक्त को सजा दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के प्रभावी प्रयासों मे अभियुक्त के डीएनए रिपोर्ट को अल्पावधि मे विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मगवाया गया जो की प्रश्नगत अभियोग मे सजा कराये जाने हेतु एक पुष्टीकारक साक्ष्य के रूप में उपयोगी साबित हुआ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर